न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राज.)

प्रकरण संख्या 91/18
दायरा तिथिः— 13.06.2018

दावा

बउनवान

हंसराज पुत्र मोतीलाल दत्तक पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां

वादी

बनाम

1. गिर्राज पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां राज0 मंदबुद्धि जर्ये संरक्षक एवं वाद मित्र भ्राता चेतराम पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

प्रतिवादीगण

दावा वास्ते 88,89,90,91,53 आर0टी0ए0

उपस्थितः— 1. श्री सत्येन्द्र जामोदिया एड.वादी
2. श्री सूर्यप्रकाश नागर एड.प्रतिवादी

प्राथमिक निर्णय दिनांक 27.09.2019

वादी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सुन्दलक तहसील बारां में खातेदार किशनलाल वल्द जयलाल के खाते कब्जे एवं काश्त की आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 0.83 है., 81 रकबा 0.10 है., 488 रकबा 0.04 है., 857 रकबा 0.96 है., 917 रकबा 1.23 है. कुल किता 5 रकबा 3.16 है. स्थित है। आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 0.10 है. को छोड़कर शेष चारों खसरा नंबरान की कुल आराजी 3.06 है. बाबत वादी को गोद पुत्र की घोषणा का वाद खातेदार किशनलाल की लाऔलाद मुत्यु होने से तथा उसके द्वारा प्रतिवादी गिर्राज के पक्ष में वसीयत कर देने के कारण विवाद होने से वादी द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश बारां के यहां प्रस्तुत किया था जिसमें वादी व प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से दिनांक 09.09.2017 को उक्त चारों नंबरान की कृषि भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से करने बाबत समझौता होने से वाद निर्णित हो गया। आराजी खसरा नंबर 81 की भूमि भी किशनलाल की मृत्यु के बाद 1/2, 1/2 में वादी एवं प्रतिवादी काश्त कर रहे हैं तथा सम्पूर्ण भूमि पर 1/2, 1/2 हिस्से में अपने नाम दर्ज कराने एवं खातेदार कृषक दर्ज कराने के अधिकारी एवं नालिशी हैं। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सुन्दलक की आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 0.83 है., 81 रकबा 0.10 है., 488 रकबा 0.04 है., 857 रकबा 0.96 है., 917 रकबा 1.23 है. कुल किता 5 रकबा 3.16 है. का विभाजन कर 1/2 हिस्सा वादी के नाम व 1/2 प्रतिवादी के नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जाकर बाद विभाजन पृथक से वादी व प्रतिवादी के हिस्से में दर्ज करने की डिक्री प्रदान करें।

Scanned by CamScanner

वाद पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक इकबालिया जवाब दावा इस आशय का पेश हुआ कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी वर्णित वाद पत्र हिस्सा 1/2 वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी के नाम दर्ज फरमाने की कृपा करें।

उभयपक्ष की ओर से जर्ये अभिभाषकगण राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि विवादित खाता संख्या 28 पुराना 27 में खसरा नंबर 80 रकबा 0.83 है., 81 रकबा 0.10 है., 488 रकबा 0.04 है., 857 रकबा 0.96 है., 917 रकबा 1.23 है. कुल किता 5 रकबा 3.16 है. में 1/2 हिस्सा वादी हंसराज व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी गिर्राज के नाम बंटवारा कर 1/2, 1/2 खाते दर्ज कर दिया जावे इससे दोनों पक्षकार सहमत हैं। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री फरमाने की कृपा करें।

साक्ष्य वादी में अभिभाषक वादी ने पी.डब्ल्यू. 1 हंसराज का शपक्ष पत्र मुख्य परीक्षण पेश किया तथा बयान लेखबद्ध करवाकर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2072–75 ग्राम सुन्दलक खाता संख्या नया 28 पुराना 27, न्यायालय सी.जे. एम. साहब बारां के प्रकरण संख्या 9/17 की आदेशिका दिनांक 09.09.2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 एवं इसी प्रकरण में राजीनामा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2/1 प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाई।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम सुन्दलक तहसील बारां में खातेदार किशनलाल वल्द जयलाल के खाते कब्जे एवं काश्त की आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 0.83 है., 81 रकबा 0.10 है., 488 रकबा 0.04 है., 857 रकबा 0.96 है., 917 रकबा 1.23 है. कुल किता 5 रकबा 3.16 है. स्थित है। आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 0.10 है. को छोड़कर शेष चारों खसरा नंबरान की कुल आराजी 3.06 है. बाबत वादी को गोद पुत्र की घोषणा का वाद खातेदार किशनलाल की लाऔलाद मुत्यु होने से तथा उसके द्वारा प्रतिवादी गिर्राज के पक्ष में वसीयत कर देने के कारण विवाद होने से वादी द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश बारां के यहां प्रस्तुत किया था जिसमें वादी व प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से दिनांक 09.09.2017 को उक्त चारों नंबरान की कृषि भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से करने बाबत समझौता होने से वाद निर्णित हो गया। आराजी खसरा नंबर 81 की भूमि भी किशनलाल की मृत्यु के बाद 1/2, 1/2 में वादी एवं प्रतिवादी काश्त कर रहे हैं तथा इस बाबत राजीनामा भी उभयपक्षकारान ने जर्ये अभिभाषकगण न्यायालय श्रीमान् में पेश कर दिया है राजीनामा अनुसार सम्पूर्ण भूमि पर 1/2, 1/2 हिस्से में अपने नाम दर्ज कराने एवं खातेदार कृषक दर्ज कराने के अधिकारी एवं नालिशी हैं। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सुन्दलक की आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 0.83 है., 81 रकबा 0.10 है., 488 रकबा 0.04 है., 857 रकबा 0.96 है., 917 रकबा 1.23 है. कुल किता 5 रकबा 3.16 है. का विभाजन कर 1/2 हिस्सा वादी के नाम व 1/2 प्रतिवादी के नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जाकर बाद विभाजन पृथक से वादी व प्रतिवादी के हिस्से में दर्ज करने की डिक्री प्रदान करें।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने इकबालिया जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सुन्दलक की आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 0.83 है., 81 रकबा 0.10 है., 488 रकबा 0.04 है., 857 रकबा 0.96 है., 917 रकबा 1.23 है. कुल किता 5 रकबा 3.16 है. हिस्सा 1/2 वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी के नाम दर्ज फरमाने की कृपा करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या नया 28 पुराना 27 प्रदर्श 1 अनुसार ग्राम सुन्दलक की आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 0.83 है., 81 रकबा 0.10 है., 488 रकबा 0.04 है., 857 रकबा 0.96 है., 917 रकबा 1.23 है. कुल किता 5 रकबा 3.16 है. वादी एवं प्रतिवादी के पिता किशना पि0 जयलाल कोम मीना सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी को गोद पुत्र की घोषणा का वाद खातेदार किशनलाल की लाऔलाद मृत्यु होने से तथा उसके द्वारा प्रतिवादी गिर्राज के पक्ष में वसीयत कर देने के कारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश बारां में प्रस्तुत वाद में वादी व प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से दिनांक 09.09.2017 को उक्त चारों नंबरान की कृषि भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से करने बाबत समझौता होने से वाद निर्णित हो गया। आराजी खसरा नंबर 81 की भूमि भी किशनलाल की मृत्यु के बाद 1/2, 1/2 में वादी एवं प्रतिवादी काश्त कर रहे हैं तथा इस बावत राजीनामा भी उभयपक्षकारान ने जर्ये अभिभाषकगण न्यायालय हाजा में पेश किया है जिसके अनुसार सम्पूर्ण भूमि पर 1/2, 1/2 हिस्से में अपने नाम दर्ज कराने हेतु उभयपक्षकारान सहमत हैं। पत्रावली में वादी ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश बारां में हुये राजीनामे की आदेशिका दिनांक 09.09.2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 एवं उस प्रकरण में राजीनामा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2/1 प्रस्तुत की है। इस प्रकार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि ग्राम सुन्दलक की आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 0.83 है., 81 रकबा 0.10 है., 488 रकबा 0.04 है., 857 रकबा 0.96 है., 917 रकबा 1.23 है. कुल किता 5 रकबा 3.16 है. में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 का 1/2–1/2 हिस्सा पृथक–पृथक कायम किया जाकर पृथक से लगान निर्धारण के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बारां को आदेश दिये जाते हैं कि उक्तानुसार यदि पक्षकारान सहमत हों तो कब्जे एवं सहमति अनुसार अन्यथा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजीयात के विभाजन प्रस्ताव भिजवावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हीरालाल मीना)
उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Meena
Date: 2019.10.22 17:00:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: